

मुद्रा ऋण

विशेषताएँ

| Scheme Name | Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) |
|------------------|---|
| Benefits | Loans at low interest-rate to MSMEs |
| Loan amount | Rs.50,000 to Rs.20 lakh |
| Processing fee | Shishu loan - NIL Kishore and Tarun - Depends on the lender |
| Repayment period | Varies between 1 to 7 years depending on the lender |
| Collateral | NIL |
| Official website | https://www.mudra.org.in/ |
| Helpline number | 1800 180 1111, 1800 11 0001 |

मुद्रा योजना का उद्देश्य

मुद्रा योजना की शुरुआत इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान पूरे किए जाने वाले कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी। इनमें से सबसे प्रमुख हैं:

- लघु/सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और संबंधित संस्थाओं को पंजीकृत कराना और फिर उनका विनियमन करना।
- छोटे व्यवसायों को विकसित करने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए।
- निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय बनाने और विस्तार करने में सहायता करना।
- बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों के लिए वित्त तक आसान पहुंच बनाने में सहायता करना तथा उनकी वित्त लागत को कम करने में सहायता करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण देने में प्राथमिकता प्रदान करना।

- व्यापार, विनिर्माण और सेवा से संबंधित सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को विनियमित करना।

मुद्रा ऋण के प्रकार

मुद्रा ऋण चार प्रकार के होते हैं, जिनकी ऋण सीमाएँ अलग-अलग होती हैं और जो संबंधित व्यवसाय के विकास चरण के अनुसार अलग-अलग होती हैं। लागू सीमाएँ इस प्रकार हैं:

- शिशु - 50,000 रुपये तक की सीमा तक ऋण।
- किशोर - 50,000 रुपये से 5,00,00 रुपये तक का ऋण।
- तरुण - 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक का ऋण।
- तरुणप्लस - 10,00,000 रुपये से 20,00,000 रुपये तक का ऋण।

मुद्रा योजना के तहत सहायता की प्रकृति

इस योजना के अंतर्गत ऋण नीचे सूचीबद्ध उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है:

- वाणिज्यिक वाहन ऋण.
- परिवहन वाहन ऋण.
- कार्यशील पूंजी ऋण.
- संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण.
- कृषि -संबद्ध गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण ।
- व्यापारियों, विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए व्यवसाय ऋण।

मुद्रा योजना के लिए पात्रता

मुद्रा योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्र हैं:

- व्यक्तियों
- मालिकाना चिंता
- साझेदारी फर्म
- निजी लिमिटेड कंपनी
- सार्वजनिक संगठन
- अन्य कानूनी संस्थाएं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण, व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में गैर-कृषि आय-उत्पादक व्यवसायों में कार्यरत उपरोक्त पात्र संस्थाओं के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी ऋण आवश्यकताएँ 10 लाख रुपये से कम हैं। पर्यटन में रोजगार-आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे के लिए भी मुद्रा ऋण प्रदान किए जाते हैं। जिन संस्थाओं ने पहले तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, वे तरुण प्लस के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 लाख रुपये तक।